न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील भरण पोषण संख्या 18/21 **सन् 2021**

GCMS NO-2021/313

बउनवानीः–1. गजानन्द पुत्र रामधन जांगिड निवासी सालौदा मोड, गंगापुर सिटी

2. जितेन्द्र पुत्र रामधन जांगिड निवासी सालौदा मोड गंगापुर सिटी

बनाम

1. रामधन पुत्र किशोरी जांगिड निवासी सालौदा मोड गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर
2. प्रेमदेवी पत्नि रामधन जांगिड निवासी सालौदा मोड गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 01/2020 मे पारित आदेश दिनांक 18.10.2021 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम,2007)

उपस्थितः– 1. स्वंय अपीलान्ट

2. स्वंय रेस्पो.

–: निर्णय :– **दिनांक 11.01.2022**

अपील अपीलान्ट ने उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 01/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 18.10.2021 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि विवादित आदेश दिनांक 18.10.2021 अवैध है। क्योकि अपीलान्टगण को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही उक्त आदेश से अपीलान्ट गजानन्द पर 27,750/–रू एवं जितेन्द्र पर 70,250/–रू बकाया बताकर रेस्पो. को भुगतान किये जाने बाबत आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.2.2021 को अपीलान्ट को नोटिस जारी कर साक्ष्य एवं सबूत दिनांक 10.5.2011 से अब तक प्राप्त भुगतान की गयी राशि का सम्पूर्ण विवरण मय संबंधित दस्तावेजो मागें जाने का आदेश दिया जाना बताया गया है किन्तु माननीय न्यायालय का उक्त आदेश अपीलान्ट को प्राप्त नही हुआ है तथा बिना तलवी के आगामी पेशी दिनांक 16.3.2021 को अपीलान्ट को अनुपस्थित बताते हुए रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत जवाब को अपूर्ण मानते हुए राशि से संबंधित सबूत मांगे जाने का आदेश दिया गया था। किन्तु जबतक भी अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नही किया गया ओर ना ही कोई नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त हुआ है जो न्यायालय की आदेशिका दिनांक 31.3.2021 में स्पष्ट अंकित है कि नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए है। इसके उपरान्त नियत दिनांक 19.4.2021 से दिनांक 12.7.2021 तक लॉक डाउन लग जाने के कारण दिनांक 22.7.2021 को रामधन एवं गजानन्द को उपस्थित मानते हुए हिसाब पेश करने को समय बताया गया है इसके बाद अपील[illegible] लगातार अनुपस्थित माना गया है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की जितेन्द्र की पत्नि [illegible] 27.10.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 69000/–रू का हिसाब म[illegible] हिसाब पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 70,250/[illegible] वारण्ट वसूली जारी [illegible] गये थे जबकि उक्त वारण्ट मे 69000/–रू कम करनी चाहिए थ[illegible] यह भी तर्क दिया कि [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:09:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी 1500/–रू की भरण पोषण राशि नियमित रूप से अदा करता रहा हूँ। जिसकी पुष्टि स्वंय रामधन द्वारा दिनांक 29.9.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि दिनांक 10.07.2017 तक जितेन्द्र से भुगतान प्राप्त कर लिया है। अपीलान्ट की पत्नि द्वारा निवेदन किया कि दिनांक 10.07.2017 से 10.10.2021 तक कुल 51 माह के 76500/–रू बनते है जिसमे से अपीलान्ट द्वारा 69000/–रू जमा करवाये जा चुके है शेष राशि 7500/–रू का भुगतान किया जा रहा है। दिनांक 30.10.2021 को हेमेन्द तिवाडी ने अपने घर बुलाकर रामधन जांगिड को 7500/–रू अदा किये जाकर रामधन से प्राप्ति रसीद ली गयी।

अपीलान्ट गजानन्द द्वारा भी दिनांक 27.10.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.5.2011 से 1500/–रू प्रतिमाह के हिसाब से दिनांक 10.10.2021 तक 10 वर्ष 5 माह के 187,500/–रू मे से 1,80,133/–रू देने का हिसाब प्रस्तुत किया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रस्तुत किये गये हिसाब पर कोई विचार नही करते हुए प्रार्थी गजानन्द पर 27750/–रू एवं जितेन्द्र पर 70,250/–रू बकाया वसूली के वारण्ट जारी कर कानूनी भूल की गयी है। जबकि अपीलान्टगण पर कोई बकाया राशि नही निकल रही है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

रेस्पो. द्वारा दोराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है। क्योकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवायी उभय पक्ष एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर ही निर्णय पारित किया गया है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.5.2011 को मुझ अप्रार्थी को 1500–1500/–रू प्रति माह भुगतान किया जाने के आदेश दिये गये है किन्तु अपीलान्टगण द्वारा मुझे उक्त राशि का भुगतान नही करने पर मेरे द्वारा दिनांक 18.10.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकरण द्वारा दिनांक 18.10.2021 को वसूली नोटिस जारी किया गया है जो आदेश की श्रेणी मे नही आता है तथा उक्त नोटिस अपील योग्य नही है एवं प्रस्तुत अपील में अपीलान्टगण को भुगतान नही करने व भुगतान को चालाकी से विलम्ब करने की कार्यवाही मात्र है। अधिकरणका आदेश दिनांक 18.10.2021 मात्र एक आर्डर शीट है जो पीठासीन अधिकारी द्वारा सावधानी पूर्वक प्रत्यर्थी को किये गये भुगतान की राशि घटाकर बाकी राशि का भुगतान नही करने पर उदेई मोड थाना गंगापुर सिटी को वारण्ट जारी किये गये है। अधिकरण द्वारा नियमानुसार उचित समय पर नोटिस दिये गये अधिकरण की पत्रावली पर सभी तथ्य उपलब्ध है केवल मात्र मुझ अप्रार्थी जो कि 80 वर्ष का वृद्व व्यक्ति है को बेवजह न्यायालय तक खीचें जाने का व परेशान किये जाने का षडयन्त्र है। इसलिए रेस्पो. को गुजरा भत्ता राशि नियमित रूप से अपीलान्टगण से दिलवाये जाने बाबत रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

अपीलान्ट एवं स्वंय रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट एवं रेस्पो. के बीच गुजारा भत्ता राशि देने एवं लेने को लेकर विवाद है। हमने अपीलान्टगण एवं रेस्पो. को आमने सामने करके अपीलान्ट द्वारा रेस्पो. के दिये रूपये एवं अपीलान्ट द्वारा रेस्पो. से प्राप्त हुई राशि का विवरण प्राप्त किया गया जिसके अनुसार रेस्पो. संख्या 1 द्वारा दिनांक 22.5.2015 से दिनांक 8.9.2020 तक अपीलान्ट के खाते मे जमा करवायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:09:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

गयी राशि का विवरण पेश किया गया, प्रस्तुत विवरण के अनुसार उक्त अवधि में अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा 1,79,366/–रू रेस्पो. को देना बताया गया। जबकि रेस्पो. द्वारा उसको प्राप्त राशि का प्रस्तुत विवरण के अनुसार 1,57,116/–रू प्राप्त होना बताया गया है। उक्त विवरण के अनुसार 22,250/–रू का अन्तर पाया गया है किन्तु उक्त राशि में से दिनांक 18.2.2017 को 500/–रू का अन्तर, दिनांक 3.1.2018 3000/–रू का अन्तर, दिनांक 14.11.2018 से 11.1.2019 तक 4500/–रू एवं दिनांक 16.4.2019 एवं 2.6.2019 को अमित द्वारा भुगतान की गयी 6000/–रू की राशि को अपीलान्ट द्वारा रेस्पो. को दी गयी राशि मे समायोजित किया जाता है। तथा दिनांक 23.7.2019 को दिये गये 3000/–रू का बैंक पासबुक मे एन्ट्री नही होने के कारण एवं 4866/–रू की राशि से रेस्पो. सहमत नही होने के कारण उक्तानुसार कुल 7866/–रू की राशि रेस्पो. के दिये जाने बाबत अपीलान्ट संख्या 1 को निर्देशित किया जाता है।

अपीलान्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत हिसाब के अनुसार दिनांक 7.11.2015 से 30.10.2021 तक कुल 1,71,000/–रू की राशि रेस्पो. के दिया जाना बताया गया है किन्तु रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत हिसाब के अनुसार 1,45,250/–रू प्राप्त होना बताया गया है। अपीलान्ट संख्या 2 एवं रेस्पो. के हिसाब में 24,250/–रू अन्तर है किन्तु दिनांक 19.2.2015 तक की 750/–रू की अन्तर राशि एवं दिनांक 7.11.2015 से 28.1.2016 तक के 7500/–रू, 4500/–रू एवं 1500/–रू के अन्तर के संबंध मे बैंक पासबुक उपलब्ध नही कराने के कारण एवं दिनांक 11.8.2018 को दी गयी 10,000/–रू की राशि का बैंक पासबुक मे एन्ट्री नही होने के कारण उक्त राशि का समायोजन रेस्पो. को अपीलान्ट द्वारा दी गयी राशि मे समायोजना किया गया जिससे रेस्पो. भी सहमत है। इस प्रकार अपीलान्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पो. को दी गयी राशि 1,71,000/–रू से रेस्पो. सहमत है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे आंशिक संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश 18.10.2021 खारिज किया जाता है तथा दिनांक 8.9.2020 तक अपीलान्ट संख्या 1 पर बकाया गुजारा भत्ता राशि 7866/–रू व दिनांक 8.9.2020 से आज दिनांक तक की गुजारा भत्ता राशि वसूल किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय अपने आदेश दिनांक 10.5.2011 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु सक्षम रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2022 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:09:59 IST
Reason: SelfAttested